

105
2022

2022/271

प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला-जयपुर
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प
"न्याय आपके द्वार-2016"

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी व भू.अ.नि.
की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार
की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा
136 के अनुसरण में ग्राम तहसील व जिला
की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज
प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2पोरी	खसरा नं 20 खसरा नं 562 व 562/1	खसरा नं 562 व 562/1 के बीच की सीमा को सीमा रेखा के अनुसार ठीक कर दिया गया	खसरा नं 562 व 562/1 के बीच की सीमा को तहसील अधिकारी की मदद से देखाया के द्वारा ठीक कर दिया गया

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जयपुर)

क्रमांक :- 464-665

दिनांक :- 23/9/22

- प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
 2. प्रार्थी श्री
 3. रक्षित पत्रावली। को सूचनार्थ ।

उप पीठासीन अधिकारी
शाहपुरा (लोक अदालत) शाहपुरा
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)